पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता

–डॉ. योगेश कुमार
–श्रद्धा कुमार
–मोनिका बोस्को

पिछले वित्त आयोगों से अलग 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों को बड़ी अच्छी रकम का आबंटन किया है, वह भी ग्राम पंचायतों को, जो सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए 200292 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन के तीन गुना से भी ज्यादा है। बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयोग ने स्थानीय सरकारों पर भरोसा किया है। इतना ही नहीं, चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का पैसा राज्य सरकारों के पास 15 दिन से ज्यादा पड़ा नहीं रहना चाहिए। पंचायतों को धन देने में देरी होने पर राज्यों को ग्राम पंचायतों को ब्याज का भुगतान करना चाहिए।

'स्वराज' और 'गणराज्य' यानी जनता के स्वायत्तशासी गणराज्यों का विचार हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहा है और संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा की बहस में यह भी शामिल रहा है। इसका अभिप्राय है देश में ऐसी मजबूत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना जो अपने आप का प्रबंधन करने की क्षमता रखती हो और शासन संचालन में सक्षम हो। लेकिन हमारा संविधान पंचायतों के बारे में गांधी जी के उदार दृष्टिकोण का उस हद तक समर्थन नहीं कर सका, जितना आवश्यक था। परिणामस्वरूप पंचायतों को राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धातों में ही स्थान मिल सका। राष्ट्र ने फैसला किया कि विकास और गौरव के रास्ते का पंचायतों से गुजरना जरूरी नहीं है और यह मान लिया गया कि विकास का इंजन प्रत्येक व्यक्ति तक इसे पहुंचाएगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दशकों में बढ़ती गरीबी और असमानताओं ने इस आम धारणा को चुनौती दी जिससे नेताओं को बैठकर 'विकास इंजन के सिद्धांत' के विकल्प के बारे में विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप समतामूलक प्रगति के लिए विकास के विकेंद्रीकरण की धारणा सामने आई। इसके साथ–साथ इस बात का अहसास भी लगातार बढ़ता जा रहा था कि सेवा प्रदान करने में भ्रष्टाचार और कार्यकुशलता की कमी की वजह से लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं असरदार नहीं रह जातीं। इसलिए सेवा प्रदाताओं की निचले स्तर पर जवाबदेही में सुधार लाने की बात सोची गई। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने ग्राम गणराज्य या पंचायती राज प्रणाली के विचार को एक बार फिर विकास का अधिक कार्यकुशल और विकेंद्रित तरीका बना दिया है।

भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की कहानी का सिलसिला 25 साल पहले तब शुरू हुआ जब शहरी और ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर मानते हुए क्रांतिकारी 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी मिली। इसके बाद विधिवत पंचायतों और नगरपालिकाओं का गठन किया गया और उन्हें पर्याप्त अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ग्राम पंचायतों के नेताओं ने देशभर में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए। हालांकि इस तरह के उदाहरण बहुत कम हैं और उनके पीछे सशक्त नेतृत्व, प्रशासनिक सहयोग और सामुदायिक योगदान का हाथ अधिक दिखाई देता है। पंचायती राज संस्थाओं को धन की कमी, कामकाज में स्पष्टता की कमी और अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय वित्त आयोग ने संविधान संशोधनों के बाद पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों का एक निश्चित हिस्सा आबंटित किए जाने की सिफारिश की है।

स्थानीय सरकारों को वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण

चौदहवें वित्त आयोग ने कई ऐसी पहल की हैं जिनसे पंचायतों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना बनी है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों के आबंटन में पिछले वित्त आयोगों के मुकाबले भारी बढ़ोतरी की गई है। (देखे तालिका–1)

पिछले केंद्रीय वित्त आयोगों से हटकर, चौदहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए काफी बड़ी राशि का आबंटन किया है और वह भी ग्राम पंचायतों के लिए, जो सेवा प्रदान करने का कार्य करती हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए 200292 करोड़ रुपये का आबंटन किया है जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन के मुकाबले तीन गुना से भी अधिक है। आयोग ने स्थानीय निकायों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भरोसा किया है। इतना ही नहीं चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का पैसा सरकार के पास 15 दिन से ज्यादा की अवधि के लिए पड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो ग्राम पंचायतों को ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

तालिका 1: विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों को आबंटित अनुदान

वित्त आयोग	पंचायतों को अनुदान (करोड़ रुपये)	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (करोड़ रुपये)
दसवां	4380.93	1000.00
ग्यारहवां	8000.00	2000.00
बारहवां	20000.00	5000.00
तेरहवां	63015.00	23111.00
चौदहवां	200292.00	87143.8

अनुदान का उद्देश्य

अनुदान राशि दो तरह से जाती है: बुनियादी अनुदान और कार्यनिष्पादन अनुदान। बुनियादी अनुदान का उद्देश्य बुनियादी सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव, सड़कों, पगडंडियों और स्ट्रीट लाइटों, श्मशान व कब्रिस्तान के रखरखाव जैसे उन बुनियादी कार्यों के लिए होता है जो कानून के तहत उन्हें सौंपी गई हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बुनियादी अनुदान की राशि का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा जिसकी जिम्मेदारी संगत कानून के तहत स्थानीय निकाय को न सौंपी गई हो। ग्रामीण स्थानीय निकाय को बुनियादी अनुदान देते समय 2011 की जनगणना के आधार जनसंख्या को 90 प्रतिशत और क्षेत्र को 10 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।

चौदहवें वित्त आयोग ने बुनियादी सेवाओं के घटक के रूप में संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और पूंजीगत खर्च में अंतर नहीं किया है। यह सलाह दी गई है कि संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और पूंजीगत खर्च के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता की लागत किसी भी हालत में ग्राम पंचायत या नगरपालिका को आबंटित की जाने वाली राशि या स्थानीय निकाय के खर्च के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने तकनीकी और प्रशासनिक सहायता की इस 10 प्रतिशत राशि के समुचित उपयोग के लिए राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। राज्य गतिविधियों संबंधी परामर्श सूची के आधार पर अपनी प्राथमिकता सूची जारी कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर पंचायतों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के आधार पर धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा। गतिविधियों संबंधी एक निषेधात्मक सूची भी तैयार की गई है और चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में किसी बड़े विचलन को कम–से–कम करने की सलाह दी गई है।

चौदहवें वित्त आयोग ने इस बात पर भी गौर किया कि जैसे–जैसे स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले जनता के पैसे का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, इन संस्थाओं में जवाबदेही लाने की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। कार्य निष्पादन अनुदान का उद्देश्य प्राप्तियों और खर्च के आंकड़ों तथा अपने राजस्व में सुधार का विश्वसनीय अंकेक्षित लेखा तैयार करना है। कार्य निष्पादन अनुदान के लिए पात्रता की शर्त यह है कि पंचायतें अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करेंगी और अपने राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज करने के प्रयास करेंगी। राज्य पंचायतों के कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने पात्रता मानदंड बना सकते हैं।

विकेंद्रित नियोजन

वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को चौदहवें वित्त आयोग

की सिफारिशों के अनुसार अनुदान देने और उसे उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त धन को खर्च करने से पहले पंचायतों को राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार सौंपे गए कार्यों के दायरे में रहते हुए समुचित योजनाएं तैयार करनी हैं। ये योजनाएं प्रतिभागितापूर्ण होनी चाहिए जिनमें परियोजनाओं और प्राथमिकताओं को तय करने में जन समुदाय, खासतौर पर ग्राम पंचायतों की भी भागीदारी होनी आवश्यक है। उसे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के जनादेश पर अमल को भी सुनिश्चित करना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में गरीब और उपेक्षित लोगों की कमजोरियों को दूर करने और समन्वित गरीबी न्यूनीकरण योजना के जरिए उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करने वाला घटक भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और समयबद्ध कार्ययोजनाओं पर अमल के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों में तालमेल रखने के लिए राज्यों की खास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों से पंचायती राज प्रणाली के सशक्तीकरण के बारे में राज्यों की परिकल्पना और महत्वाकांक्षा का पता चलता है। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के कार्य को आसान बनाने और इसमें मदद के लिए संस्थागत प्रणाली विभिन्न राज्यों में अलग–अलग हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश ने 13वें वित्त आयोग से प्राप्त धन के उपयोग के लिए 'पंच परमेश्वर' नाम की अपनी योजना तैयार की है जिसे 14वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग के लिए भी जारी रखा गया है। नवगठित राज्य तेलंगाना ने 14वें वित्त आयोग के धन से 'ग्राम ज्योति' नाम की एक योजना की घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य "ग्राम पंचायतों को सशक्त और सुदृढ करना है ताकि सेवाएं बेहतर तरीके से प्रदान की जा सकें"। इसमें पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत संस्थागत दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है जिसके अंतर्गत महामारियों की रोकथाम, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बाल कल्याण, लाइसेंस जारी करना और अतिक्रमण रोकना जैसे कार्य शामिल हैं। कर्नाटक ने उत्पादन क्षेत्र, नागरिक सुविधाओं और सामाजिक न्याय आदि के लिए कार्यकारी समूह तैयार किए हैं। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की ही तरह तकनीकी सहयोग के लिए जिला–स्तर के संसाधन समूहों की परिकल्पना की गई है। ओडिशा ने ग्राम पंचायत–स्तर पर नियोजन इकाई का प्रस्ताव किया है जिसमें निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्ताओं के अलावा सीबीओ, एनजीओ और ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने योजना बनाते समय समाज के उपेक्षित समूहों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर जोर दिया है जबकि तेलंगाना ने अ.जा./अ.ज.जा. उप–योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके वास्ते विशेष विकास योजना को साथ–साथ तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पंचायत आंत्रप्रन्योरशिप सूट (पीईएस)

वर्तमान नियोजन प्रणाली के अंतर्गत मोटे तौर पर कार्यक्रमों के अनुसार जिला–स्तर पर योजनाएं तैयार करनी होती हैं जिसमें अक्सर सरकार की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल नहीं बन पाता। इन सरोकारों पर गौर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 'प्लान प्लस' नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। इसमें

तमाम नियोजन इकाइयों की सभी परियोजनाओं को समन्वित और समेकित करने की सुविधा उपलब्ध है। पंचायतों द्वारा तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को इस सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया जाता है और नागरिक भी अपने–अपने इलाकों में बनाई जा रही योजनाओं और किए जा रहे कार्यों को देख सकते हैं। इस समय प्लान प्लस के जरिए योजना तैयार करना कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। इसके अलावा एक्शन सॉफ्ट एक अन्य पीईएस एप्लिकेशन है जो प्लान प्लस के साथ तालमेल के साथ कार्य करता है। यह कार्य पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया और अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि कार्यान्वयन की अवधि में किन–किन विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त हो रहा है। इस तरह यह कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में सूचना देने में पूर्ण पारदर्शिता लाता है। इसी तरह 'प्रिया सॉफ्ट' एक अन्य पीईएस एप्लिकेशन है जिसमें वाउचर प्रविष्टियों के जरिए अनुमोदित सूची के कार्यों के लिए प्राप्तियों और खर्च का हिसाब रखा जा सकता है।

अच्छे नतीजे

14वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की व्यवस्था से उनके कुल संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है। परिणामस्वरूप पैसा खर्च करने के बारे में पंचायतों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं को संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है–

स्थानीय सरकारों को विकेंद्रीकरण में वृद्धि से प्रति व्यक्ति धन की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है और यह ग्यारहवें वित्त आयोग के समय प्रति व्यक्ति 96 रुपये के स्तर से बढ़कर 12वें वित्त आयोग के कार्यकाल में 240 रुपये हो गई। इसके बाद यह 13वें वित्त आयोग के समय में 488 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। प्रति व्यक्ति धन की उपलब्धता बढ़ने से ग्रामीण लोगों का जीवन–स्तर सुधरा है। यह गांवों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समुचित नियोजन की वजह से संभव हो सका है।

14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को ग्रामसभाओं द्वारा तैयार और अनुमोदित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने की

तालिका–2 : चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग–समेकित (करोड़ रुपये में)

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18	
	14वें वित्त आयोग से प्राप्त कुल अनुदान	कुल खर्च	14वें वित्त आयोग से प्राप्त कुल अनुदान	कुल खर्च	14वें वित्त आयोग से प्राप्त कुल अनुदान	कुल खर्च
आंध्र प्रदेश	17.21	5.41 (29.11%)	1292.32	840.63 (64.38%)	1309.53	846.04 (64.60%)
छत्तीसगढ़	506.7	325.71 (64.05%)	738.1	383.5 (50.91%)	1244.8	709.21 (56.97%)
गुजरात	851.32	687.27 (80.6%)	1252.18	930.61 (74.26%)	2103.5	1617.88 (76.91%)
हरियाणा	205.8	52.72 (25.62%)	796.36	502.7 (63.01%)	1002.16	55542 (55.42%)
हिमाचल प्रदेश	1.01	0.09 (7.65%)	12.95	2.26 (14.53%)	13.96	2.35 (16.83%)
झारखंड	138.26	22.22 (16.01%)	347.917	135.31 (48.71%)	486.177	157.53 (32.40%)
महाराष्ट्र	91.82	2.35 (2.55%)	179.61	7.87 (4.26%)	271.43	10.22 (3.76%)
मणिपुर	21.86	14.26 (65.25%)	35.2	32.74 (92.99%)	57.06	47 (82.36%)
ओडिशा	853.13	187.16 (22.41%)	1096.39	221.9 (20.23%)	1949.52	409.06 (20.98%)
राजस्थान	2729.88	60.68 (2.22%)	2234.82	1158.1 (51.8%)	4964.7	1218.78 (24.54%)
तेलंगाना	200.6	117.77 (36.75%)	812.26	476.63 (48.74%)	1012.86	594.4 (58.68%)
त्रिपुरा	1.06	0.8 (74.84%)	56.32	38.32 (68.05%)	57.38	39.12 (68.17%)
उत्तराखंड	201.41	1.33 (0.66%)	271.93	92.69 (34.08%)	473.34	94.02 (19.86%)
उत्तर प्रदेश	1795.12	40.24 (2.24%)	2079.69	38.38 (1.99%)	3874.81	78.62 (2.02%)
अखिल भारतीय	8419.22	1819.29 (21.27%)	12972.01	5669.63 (43.09%)	21391.23	7488.92 (35.009%)

(स्रोत : योजना दस्तावेज और वेबसाइट)

जिम्मेदारी सौंपी है। अब पंचायतों को इस बात का फैसला करने की अधिक स्वायत्तता मिल गई है कि किस बुनियादी सुवि धा पर अधिक पैसा खर्च होना चाहिए।

ग्राम पंचायतों को सीधे धनराशि दी जाती है और इसमें ब्लॉक और जिला पंचायतों जैसी अन्य पंचायती संस्थाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई बुनियादी सेवाओं पर खर्च करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए अनेक प्रतिबंधों और प्राथमिकता संबंधी शर्तों के बावजूद ग्राम पंचायतों ने दूरदर्शिता से धन का उपयोग किया और प्रतिस्पर्धी लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले कई निर्माण कार्य पूरे किए हैं। अनुदान से जहां बुंदेलखंड में भीषण सूखे में पानी के लिए तरसते लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिली है वहीं झारखंड में पूरानी टूटी–फूटी पुलिया की मरम्मत करके सड़क संपर्क बनाए रखा जा सका है। इसी तरह पुराने नलकों की छुटपुट मरम्मत, गांव में पीने के पानी के एकमात्र कुएं की सफाई जैसे कार्य भी इससे कराए जा सके हैं। ग्राम पंचायतों ने इन अत्यंत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं पैसा जोड़ा और जुटाया क्योंकि उन्हें अक्सर कार्यों की प्राथमिकता तय करने का अधिकार न होने से ये काम कराए नहीं जा सकते थे।

पंचायतों द्वारा स्थानीय रूप से तालमेल कायम करने के कई उदाहरण हैं, जबकि अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के पैसे से इन योजनाओं को पूरा कर सेवाओं की गुणवत्ता में वैसा सुधार नहीं लाया जा सकता था।

इसके अलावा 14वां वित्त आयोग पंचायतों की अनुदान राशि का दसवां हिस्सा कार्य निष्पादन के आधार पर देने की सिफारिश करता है। इस अनुदान के लिए पात्र होने के लिए स्थानीय निकायों को पिछले साल का अंकेक्षित लेखा देना होता है और यह साबित करना पड़ता है कि उसने अपने राजस्व में बढ़ोतरी की है। स्पष्ट है कि पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार की तरह होती है न कि नाकामयाबी को छुपाने के लिए सहायता के तौर पर। स्थानीय निकायों को प्रासंगिक बने रहने और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए यह एक बड़ा प्रोत्साहन है।

चुनौतियां

राज्यों को धन के अंतरण के लिए साल में दो किस्तें पहले से निर्धारित होने से बड़े पैमाने पर पैसे का उपयोग न हो पाने की गुंजाइश कम है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए चौदहवें वित्त आयोग के धन के उपयोग में भारी अंतर देखा गया है। (देखें तालिका–2)

पिछले दो वर्षों में गुजरात, मणिपुर और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक खर्च करने वाले राज्य रहे हैं जिनके बाद त्रिपुरा, तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। तालिका में बताए गए बाकी राज्य आबंटित संसाधनों में से आधे से भी कम का उपयोग कर सके। उत्तर प्रदेश, जहां गरीबों की संख्या काफी अधिक है, केवल 2.02 प्रतिशत राशि का उपयोग कर सका जबकि प्रगतिशील व धनी राज्य महाराष्ट्र अंतरित धनराशि के 3.76 प्रतिशत का ही उपयोग कर सका। चूंकि ये आंकड़े भारत सरकार के प्लान प्लस सॉफ्टवेयर से लिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 14वें वित्त आयोग से संबंधित खर्च की जानकारी देगा, सूचना देने में कमी रह जाने की गुंजाइश बनी हुई है। कई राज्यों ने अपने आंकड़े इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि उन्होंने पंचायत खातों के धन के प्रबंधन के लिए अपने सॉफ्टवेयर (जैसे मध्य प्रदेश ने पंचायत दर्पण और कर्नाटक ने पंचतंत्र) विकसित कर लिए हैं। धन का पूरा–पूरा उपयोग न हो पाने का एक कारण यह भी नजर आता है।

14वें वित्त आयोग के अनुदानों के दायरे में ही अधिकतर राज्यों ने अनुदान को अपनी प्राथमिकताओं से जोड़ दिया है। ग्राम पंचायतों के सामने विकास संबंधी अनेक चुनौतियां हैं जिसके परिणामस्वरूप जनता/मतदाताओं के विभिन्न वर्गों की ओर से परस्पर प्रतिस्पर्धी मांगें उठती रहती हैं। ऐसे में अगर कोई राज्य किसी एक सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाने का फैसला कर लेता है तो नलों से पानी की आपूर्ति, जल संरचनाओं की मरम्मत, तालाबों की मरम्मत, पुलियाओं का निर्माण और रखरखाव, वर्षा जल की निकासी, तालाबों को गहरा करने, हैंडपंपों की मरम्मत आदि जैसे कई अन्य जरूरी कार्यों की उपेक्षा की संभावना बनी रहती है।

निष्कर्ष

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लीक से हटकर और क्रांतिकारी हैं जिनसे हमारी स्थानीय सरकारें सुदृढ़ होंगी। वित्तीय विकेंद्रीकरण और भरोसे पर आधारित दृष्टिकोण ने हमारी ग्राम–सभाओं और ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सशक्त किया है। धन के आबंटन से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवाओं के प्रभाव, गुणवत्ता और संवेदनशीलता पर असर पड़ा है। जीपीडीपी के गठन और पीईएस एप्लिकेशन के जरिए पंचायतों के रिकार्ड के डिजिटलीकरण से समूची प्रणाली ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और कारगर बन गई है। स्थानीय–स्तर पर समुचित नियोजन से दी जाने वाली धनराशि का उपयोग और अधिक समावेशी विकास के लिए किया जा सकेगा। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों पर और अधिक भरोसा करना चाहिए और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि के उपयोग की छूट होनी चाहिए। अगर नागरिकों की मांगों की सुनवाई होती है, उन्हें स्वीकार किया जाता है और पूरा किया जाता है तो विकेंद्रित नियोजन उनके लिए भी एक प्रेरक प्रयास साबित होगा।

(डॉ. योगेश कुमार सेंटर फॉर डेवेलपमेंट सपोर्ट (समर्थन), कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश में कार्यकारी निदेशक हैं, सुश्री श्रद्धा कुमार कार्यक्रम निदेशक और सुश्री मोनिका बोस्को कार्यक्रम एसोसिएट हैं।)

ई–मेल : yogesh@samarthan.org